//छ0ग0 शासन विरूद्ध प्रिंस गुप्ता वगैरह//–
आपराधिक प्रकरण क्रमांक–2857/2022

Witness No....**01**..for.....अभियोजन साक्षी---------- Deposition----------

taken the–...26.07.2024..... Witness's apparentage–36 year.....

States on affirmation ....शपथपूर्वक....my name is.....**प्रदीप गुप्ता** .....

Son/Daughter/wife....स्व० दुखी साव.....Occupation.....ड्रायवर.....

Address–निवासी ग्राम–धोधा, थाना–चंदौरा, जिला–सूरजपुर छ०ग० .....

परीक्षण प्रारंभ।

साक्षी को शपथ दिलाकर साक्ष्य प्रारंभ किया गया।

समय 03:30 बजे।

// राज्य द्वारा सुश्री अश्वनी ठाकुर ए0 डी0 पी0 ओ 0//

1. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण धनंजय कुशवाहा, छोटू उर्फ सौरभ, प्रिंस गुप्ता को पहचानना व्यक्त किया तथा अभियुक्त मनोज यादव को नहीं पहचानना व्यक्त किया। घटना दिनाँक से ही आरोपीगण छोटू उर्फ सौरभ, प्रिंस गुप्ता को जानता हूँ, जिसमें से धनंजय को पहले से जानता हूँ। आज से लगभग एक–दो वर्ष पूर्व मेरा दोस्त निशा राज शनि मंदिर नमनाकला के पास किराये के मकान में रहती थी, तब निशा राज ने मुझे फोन करके बुलायी कि मुझे यहाँ से दूसरे जगह सिफ्ट होना है, सामान वगैरह पैंकिग करना है, तो आ जाओ, तब मैं अपने दोस्त के किराये के मकान में गया और सामान छोटा हाथी में लोड़ कर रहे थे, मेरे साथ मेरे दोस्त संगीत पटेल, संघर्ष पटेल भी थे, वे दोनों दुकान से रस्सी लेने गये थे, उसी बीच मुझे अकेला पाकर अभियुक्त धनंजय कुशवाहा, छोटू उर्फ सौरभ, प्रिंस गुप्ता व मनोज यादव वहाँ आये और मुझे बोले के तुम रूम खाली करवाने वाले कौन होते हो कहकर माँ बहन की गंदी–गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिये थे तथा डंडा और हाथ में पहने कंगन से मारपीट किये थे। जिससे मेरे सिर व कान से खून निकल रहा था। घटना को मेरा दोस्त संगीत पटेल, संघर्ष पटेल व निशा राज देखे सुने और बीच बचाव किये है, उसके पश्चात् आरोपीगण वहाँ से भाग गये थे। घटना की सूचना घटना दिनाँक को ही थाना गाँधीनगर में दिया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र०पी०–1** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले घटनास्थल पर घटना दिनाँक

को ही रात में गये थे और घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे, नजरी नक्शा **प्र०पी०–2** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मुझे मारपीट से आयी चोंट का ईलाज मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में कराये थे।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सूर्य नारायण सिंह अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण //

2. मैं ग्राम रेवती धोधा में रहता हूँ। यह कहना सही है कि घटना के समय या पूर्व से मेरा किराये का मकान नहीं था। मैं निशा राज को जानता हूँ, क्योंकि वह मेरी ग्राम रेवती की रहने वाली है। निशा राज अपने किराये के मकान में अकेले निवास करती थी। मैं भावना गुप्ता को जानता हूँ, भावना गुप्ता निशा राज की सहेली है और दोनों अगल–बगल के रूम में एक साथ रहते थे। भावना गुप्ता एवं निशा राज शनि मंदिर नमनाकला के पास किराये के मकान में रहते थे। वहाँ किराये के मकान छः–सात बना हुआ है, जिसमें बहुत से लोग रहते है।

3. यह कहना सही है कि आरोपीगण में से धनंजय कुशवाहा नमनाकला शनि मंदिर के पास किराये के मकान में रहता था, जो निशा राज का पड़ोसी था। मैं जब अपने घर से आता था, तब मैं अपने मित्र संघर्ष एवं संगीत के किराये के मकान में आकर रूकता था, मैं इनके रूम में आकर आवश्यतानुसार रूकता था, काम खत्म होने पर चला जाता था। यह कहना सही है कि निशा राज के अन्य कोई घर वाले नहीं रहते थे, साक्षी स्वतः कहता है कि पहले उसका भाई उसके साथ रहता था, किंतु अब नहीं रहता है, क्यों साथ में नहीं रहता है, उसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ।

4. मैं निशा राज के रूम में आने जाने के दौरान पड़ोसी धनंजय से हुआ था। साक्षी स्वतः कहता है कि हम लोगों का अच्छा दोस्ती था और हम लोग एक साथ बैठकर खाना भी खाये है। यह कहना सही है कि तीन अन्य आरोपीगण वहाँ रहते होगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा घटना दिनाँक के एक सप्ताह पूर्व निशा राज के किराये के मकान में आकर निशा राज को गाली गलौज किया था। यह कहना गलत है कि जब मैं निशा राज से गाली गलौज व मारपीट कर रहा था, उस समय वहाँ पर भावना गुप्ता भी वहाँ पर थी। यह कहना गलत है कि उसी समय बीच बचाव करने के लिये

आरोपीगण द्वारा मुझे मना किया गया था, जिस पर मैं रौब में आकर अपने मित्र के किराये के मकान में पहुँचा था।

5. यह कहना सही है कि निशा राज ने जिस मोबाइल से मुझे फोन किया था, उसका नम्बर आज मुझे याद नहीं है। निशा राज ने रूम खाली करने के लिये एक सप्ताह पहले बतायी थी। यह कहना गलत है कि जिस दिन रूम खाली करना था, उस दिन मुझे नहीं बतायी थी। स्वतः कहा कि फोन करके 04:00 बजे के आस–पास बुलायी थी और मैं अंबिकापुर में ही था। एफ०आई०आर० का दिनाँक 30 तारिख वर्ष 2022 है, जिसमें माह याद नहीं हैं। यह कहना सही है कि निशा राज को कहाँ पर रूम मिला था, किसके मकान में मिला था तथा उसका किराया रकम कितना था, मैं नहीं बता सकता हूँ। स्वतः कहा कि साई मंदिर के आस–पास मिला था।

6. निशा राज अंबिकापुर के हिलस होटल में जो कि बनारस चौक में स्थित है, वहाँ खाना बनाने का काम करती थी। यह कहना गलत है कि उस होटल में मेरा तथा मेरे मित्रों का आना जाना होता रहता था। यह कहना सही है कि मैं मित्रों के साथ निशा राज एवं भावना गुप्ता के उपस्थिति में निशा के रूम में आना जाना करता था। यह कहना सही है कि निशा राज अकेले ही अपने रूम में रहती थी। यह कहना गलत है कि मैं निशा राज के रूम में किसी भी समय किसी भी समय पर जाता था। यह कहना सही है कि निशा राज मेरे मित्रों के रूम में नहीं जाती थी।

7. यह कहना सही है कि पूर्व से मेरा अभियुक्तगण से कोई विवाद नहीं था। यह कहना गलत है कि विवाद का कारण असमय निशा राज के रूम में जाना और गाली गलौज करना ही है। यह कहना सही है कि कोई भी अनावश्यक बिना कारण के गाली गालौज व मारपीट नहीं करता है। यह कहना सही है कि घटना दिनाँक से मैं दो सप्ताह पूर्व में आकर संगीत पटेल के रूम में रूका था। मैं जब निशा राज के किराये के मकान के खाली करा रहा था, तो हम तीनों मित्र साथ में थे।

8. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा चस्मीत गवाह के रूप में निशा राज, संदीप पटेल, संघर्ष पटेल का नाम अंकित कराया है। यह कहना सही है कि तीनों के अलावा और

किसी का नाम अंकित नहीं कराया हूँ। यह कहना सही है कि पुलिस ने भी कोई अन्य साक्षियों का साक्ष्य अंकित नहीं कराया है। यह कहना गलत है कि घटना के समय मुहल्ले वाले व कॉलोनी के अन्य लोग भी उपस्थित थे। यह कहना सही है कि हम लोग उसी दिन उस मुहल्ले में तीन लोग पुलिस के साथ गये थे। यह कहना गलत है कि हम लोग पुलिस के सामने मुहल्ले वालों के साथ मारपीट किये थे।

9. यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरे सामने क्या–क्या कार्यवाही किये उसके बाद पुलिस वाले क्या कार्यवाही किये मैं नहीं बता सकता। साक्षी स्वतः कहा कि मैंने सिर्फ पुलिस थाने में जाकर आवेदन दिया था, तब पुलिस वालों ने कहा था कि एफ०आई०आर दर्ज हो गया है। यह कहना सही है कि घटना के विडियों मेरे सामने नहीं बनाया गया था और न ही मेरे जानकारी में है।

समय 04:25 बजे।

परीक्षण समाप्त।

गवाह को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(प्रांजलि नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–

(प्रांजलि नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

गवाह हस्ताक्षर